सत्यमेव जयते	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आषाढ़ 18, सोमवार, शाके 1934–जुलाई 9, 2012 *Asadha 18, Monday, Saka 1934– July 9, 2012*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वन विभाग

अधिसूचनाएं

जयपुर, जुलाई 6, 2012

एस. ओ. 65:– राज्य सरकार वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 38 V की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बद्ध ग्राम सभा एवं विशेषज्ञ समिति से परामर्श उपरांत एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28–12–2007 से अधिसूचित रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति (Tiger Reserve) के क्रान्तिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र (Critical Tiger Habitat) के चारों ओर नीचे अनुसूचि – I में वर्णित वन एवं राजस्व क्षेत्र, जिसकी सीमाएं अनुसूची – II में वर्णित है, जहां क्रान्तिक व्याघ्र निवास की समग्रता और व्याघ्र प्रजातियों के लिए पर्याप्त विचरण को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मात्रा में निवास संरक्षण अपेक्षित है, जिसका उद्देश्य वन्यजीव और मानव क्रियाकलाप के बीच स्थानीय व्यक्तियों के जीविकोपार्जन, विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सम्यक् मान्यता के साथ सह अस्तित्व का संवर्धन करना है, को बफर क्षेत्र घोषित करती है। जिसे भविष्य में "रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति के मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer area)" के रूप में जाना जावेगा।

अनुसूची – I

जिला सवाई माधोपुर

वन क्षेत्र

क्र. सं.	वनखण्ड का नाम	वन मंडल	वन का प्रकार	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1	2	3	4	5
1.	ओलवारा निवारी	उप वन संरक्षक कोर बाघ परि.	आरक्षित वन	555.00

सीमाए होते हुए वनखण्उ बलवन के कम्पार्टमेंट 4 के मिलन बिन्दु तक वहाँ से आरक्षित वनखण्ड बलवन के कम्पार्टमेंट 4 की पश्चिमी सीमा होते हुए वनखण्ड बांकलिया महादेव की पश्चिमी सीमा के सहारे चलते हुए पुनः आरक्षित वनखण्ड के कम्पार्टमेंट 5 स्थित मिलन बिन्दु तक। बाद वनखण्ड बलवन के कम्पार्टमेंट संख्या 5 की दक्षिणी सीमा होकर चलते हुए कम्पार्टमेंट संख्या 4 की पूर्वी सीमा के सहारे चलते हुए वनखण्ड सालमदरा सी के मिलन बिन्दु तक। बाद वनखण्ड सालमदरा सी की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर चलते हुए उत्तर की ओर आरक्षित वनखण्ड बलवन के कम्पार्टमेंट संख्या 2 के मिलन विन्दु तक। बाद वनखण्ड बलवन के कम्पार्टमेंट संख्या 2, 1 की पूर्वी सीमा होते हुए क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट के आरक्षित वनखण्ड पापडा के कम्पार्टमेंट संख्या 8 के मिलन बिन्दु तक। बाद क्रिट्रीकल टाइगर हैवीटाट वनखण्ड पापडा के कम्पार्टमेंट 8, 7 एवं 4 की दक्षिणी सीमा के सहारे चलते हुए वनखण्ड पोलधटा के कम्पार्टमेंट संख्या 1 के क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट से चाकल नदी में स्थित मिलन विन्दु एवं प्रारम्भ बिन्दु तक।

खण्ड–11 रणथम्भौर बाघ परियोजना के क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट क्षेत्र से लगते हुए वनखण्ड बलवन के कम्पार्टमेंट संख्या 2 के पूर्वी दिशा में स्थित वनखण्ड डोबरली का सम्पूर्ण हिस्सा।

खण्ड–12 रणथम्भौर वाघ परियोजना के क्रिट्रीकल टाइगर हैवीटाट के वनखण्ड किला खण्डार के पूर्व में स्थित आरक्षित वनखण्ड सेंवती चम्बल का सम्पूर्ण रकवा इस वनखण्ड के पूर्वी दिशा में चम्बल नदी एवं दक्षिण दिशा में वनास नदी इसकी सीमा बनाती है।

[संख्या एफ.3(34)वन/2007]

जयपुर, जुलाई 6, 2012

एस. ओ. 66:– राज्य सरकार वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 38 V की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्वद्ध ग्राम सभा एवं विशेषज्ञ समिति से परामर्श उपरांत एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28–12–2007 से अधिसूचित सरिस्का व्याघ्र आरक्षिति (Tiger Reserve) के क्रान्तिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र (Critical Tiger Habitat) के चारो ओर नीचे अनुसूचि – I में वर्णित वन एवं राजस्व क्षेत्र, जिसकी सीमाएं अनुसूची – II में वर्णित है, जहां क्रान्तिक व्याघ्र निवास की समग्रता और व्याघ्र प्रजातियों के लिए पर्याप्त विचरण को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मात्रा में निवास संरक्षण अपेक्षित है, जिसका उद्देश्य वन्यजीव और मानव क्रियाकलाप के बीच स्थानीय व्यक्तियों के जीविकोपार्जन, विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सम्यक् मान्यता के साथ सह अस्तित्व

का संवर्धन करना है, को बफर क्षेत्र घोषित करती है। जिसे भविष्य में "सरिस्का व्याघ्र आरक्षिति के मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer area)" के रूप में जाना जावेगा।

अनुसूची – I
जिला अलवर वन क्षेत्र
वन मण्डल अलवर

क्र. सं.	रेंज	वन खण्ड	वन का प्रकार	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1.	अलवर	सीराबास	आरक्षित वन	2555.59
2.	अलवर	शेदावास	आरक्षित वन	3726.90
3.	अलवर	डडीकर	आरक्षित वन	2808.73
4.	अलवर	निदानी	आरक्षित वन	1570.43
5	अलवर	भाखेडा	आरक्षित वन	2885.74
6.	अलवर	धामला का बास	संरक्षित वन	600.86
7.	अलवर	हमीरपुर–क.नं 1 से 5	संरक्षित वन	717.84
8.	अलवर	धामला का बास A	संरक्षित वन	88.06
9.	अलवर	उमरैण	संरक्षित वन	511.04
10.	अलवर	बाग केशरपुर	संरक्षित वन	35.39
11.	अलवर	भाकेडा	संरक्षित वन	69.31
12.	अलवर	धोली धूप	संरक्षित वन	41.18
13.	अलवर	बल्ला वोडा	संरक्षित वन	31.55
14.	अलवर	जटियाना	संरक्षित वन	103.79
15.	अलवर	टोडियार A	संरक्षित वन	170.93
16.	अलवर	बीघोता (क.नं. 5 से 9)	आरक्षित वन	2096.87
			योग	18014.21

जिला अलवर राजस्व क्षेत्र

क्र. सं	खण्ड संख्या व क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	ग्राम का नाम	तहसील	क्षेत्रफल (हैक्टर में)
1	2	3	4	5
1.	1 (3076.08)	1–सिरावास	अलवर	680.86
2.		2–ढहलावास	अलवर	711.31
3.		3–चकशामलात	अलवर	97.96
4.		4–रामनगर	अलवर	189.93
5.		5–रोगडा	अलवर	334.86
6.		6–वख्तपुरा	अलवर	195.97
7.		7–रूंध बीनक	अलवर	126.46
8.		8–किशनपुर	अलवर	161.34
9.		9–पैंतपुर	अलवर	339.83
10.		10–दौबा रिंगतपुरी	अलवर	222.48
11.		11–शोदानपुरा	अलवर	15.08

1	2	3	4	5
12.	2 (60.71)	टोडा जयसिंहपुरा	राजगढ	60.71
13.	3 (143.50)	1–खिरतकावास	राजगढ	83.12
14.		2–तोडीकावास	राजगढ	51.49
15.		3–भानगढ	राजगढ	8.89
16.	5 (1835.70)	1–गुवाडा कुण्डयाल	थानागाजी	99.32
17.		2–अजवगढ	थानागाजी	195.70
18.		3–गुवाडा डाबर	थानागाजी	013.85
19.		4–गुवाडा घासी	थानागाजी	136.20
20.		5–गुवाडा हनुमान	थानागाजी	58.25
21.		6–गुवाडा लालाभैया	थानागाजी	12.98
22.		7–गुवाडा सायब	थानागाजी	20.07
23.		8–गुवाडा भगवान	थानागाजी	55.82
24.		9–गुवाडा जानावत	थानागाजी	15.21
25.		10–गुवाडा हार	थानागाजी	113.83
26.		11–गुवाडा बिरकडी	थानागाजी	225.60
27.		12–गुवाडा सोती	थानागाजी	42.13
28.		13–गुवाडा व्यास	थानागाजी	15.11
29.		14–गुवाडा जमींदार	थानागाजी	8.42
30.		15–गुवाडा रामजी	थानागाजी	168.49
31.		16–गुवाडा गुगली	थानागाजी	166.85
32.		17–गुवाडा लेरावा	थानागाजी	04.12
33.		18–गुवाडा निरगा	थानागाजी	54.25
34.		19–गुवाडा राडी	थानागाजी	119.02
35.		20–गुवाडा कालोत	थानागाजी	54.45
36.		21–भूरियावाली	थानागाजी	256.03
37.	6 (56.24)	रायपुरा	थानागाजी	56.24
38.	7 (885.60)	1–मानावास	थानागाजी	326.10
39.		2–गुण्डावरा	थानागाजी	559.50
40.	8 (1644.08)	1–लेकडी	बानसूर	210.93
41.		2–घाट	बानसूर	331.48
42.		3–बहरामकावास	बानसूर	190.20
43.		4–गुण्डली	बानसूर	1.42
44.		5–गुढा भाखरवाला	बानसूर	171.65
45.		6–कल्याणपुरा	बानसूर	38.44
46.		7–करवा रामपुर	बानसूर	614.60
47.		8–धागलाकाबास	बानसूर	85.36
48.	9 (15.47)	हाजीपुर	बानसूर	15.47
49.	10 (536.32)	दुहारगाला	थानागाजी	536.32
50.	11 (392.22)	नाथूसर	बानसूर	392.22

1	2	3	4	5
51.	12 (5.00)	गुवाडा रईका (माधोगढ)	अलवर	5.00
			योग	8650.92

जिला जयपुर वन क्षेत्र
वन मण्डल जयपुर (मध्य)

क्र. सं.	नाम वनखण्ड	वन क्षेत्र का प्रकार	क्षेत्रफल (हैक्टर में)
1.	बडी लाईन डीगोता 61	आरक्षित वन	6558.00

मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer area) का विवरण

वन क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र : 24572.21 हैक्टर
राजस्व क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र : 8650.92 हैक्टर

कुल योग : 33223.13 हैक्टर

अनुसूची – II
सीमा विवरण

खण्ड– 1 रक्षित वनखण्ड हमीरपुर के कम्पार्टमेंट 5 की उत्तरी पश्चिमी सीमा के कोने से प्रारम्भ होकर कम्पार्टमेन्ट नं. 5 की उत्तरी सीमा तथा कम्पार्टमेंट 5, 4, 3 व 2 की पूर्वी सीमा तथा कम्पार्टमेंट 1 की पश्चिमी–उत्तरी सीमा के साथ–साथ चलते हुए आरक्षित वनखण्ड सीरावास के कम्पार्टमेंट 19, 17, 16 व 15 की पूर्वी सीमा के साथ–साथ, आरक्षित वनखण्ड डडीकर के कम्पार्टमेन्ट नं. 3 की पूर्वी सीमा के साथ–साथ तथा कम्पार्टमेन्ट नं. 4, 5, 10, 11 व 12 की उत्तरी सीमा के साथ–साथ। यहां से रक्षित वनखण्ड की टोडियार ए की पश्चिमी–उत्तरी सीमा तक। रक्षित वनखण्ड टोडियार के उत्तर–पूर्व कोने से प्रारम्भ होकर रक्षित वनखण्ड जटियाना, धौली धूप, बल्लाबोडा की पूर्वी सीमा के साथ–साथ। यहां से आरक्षित वनखण्ड निदानी के कम्पार्टमेन्ट 7, 8 व 9 की पूर्वी सीमा तथा कम्पार्टमेन्ट 9 की दक्षिण सीमा के साथ–साथ, आरक्षित वनखण्ड भाखेडा के कम्पार्टमेन्ट 1, 2, 3 व 4 की उत्तरी सीमा के साथ–साथ तथा कम्पार्टमेन्ट 4 व 5 की पूर्वी सीमा के साथ–साथ, रक्षित वनखण्ड भाखेडा की सीमा तक। यहां से रक्षित वनखण्ड भाखेडा की पूर्वी सीमा, आरक्षित वनखण्ड के कम्पार्टमेन्ट 5 व 7 की पूर्वी सीमा के साथ–साथ तथा रक्षित वनखण्ड बाड केसरपुर व रक्षित वनखण्ड उगरैन की पूर्वी–दक्षिणी सीमा के साथ–साथ। यहां से आरक्षित वनखण्ड भाखेडा के कम्पार्टमेन्ट नं. 11 ए की दक्षिणी कोने तक। यहां से ग्राम साहोडी की उत्तरी सीमा (जो इसी ग्राम के खसरा नं. 1, 36,

37, 38, 91, 92, 93, 94, 134, 135, 139, 140, 145, 146, 147, 148 की उत्तरी सीमा भी बनती है) के साथ–साथ आरक्षित वनखण्ड वीनक के कम्पार्टमेन्ट नं. 16 की पूर्वी सीमा के मिलन विन्दु तक। आरक्षित वनखण्ड बीनक के कम्पार्टमेन्ट नं. 16, 11 वी, 15 के साथ उत्तर को चलकर क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट की सीमा के साथ–साथ चलकर रक्षित वनखण्ड हमीरपुर के कम्पार्टमेन्ट 5 की उत्तरी पश्चिमी कोने तक।

खण्ड– 2 आरक्षित वनखण्ड वीधोता के कम्पार्टमेन्ट नं. 8 के उत्तरी–पश्चिमी कोने से चलकर कम्पार्टमेन्ट नं. 8, 9 की उत्तरी सीमा के साथ–साथ तथा कम्पार्टमेन्ट नं. 9, 8, 7, 6 व 5 की पूर्वी सीमा के साथ–साथ चलकर जिला दौसा सीमा तक। यहां से पश्चिम में जिला सीमा (कम्पार्टमेन्ट नं. 5 की दक्षिणी सीमा) के साथ–साथ चलकर दक्षिणी–पश्चिमी कोने तक। यहां से इसी रक्षित वनखण्ड की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ चलकर उत्तरी–पश्चिमी कोने तक। यहां से रक्षित वनखण्ड जयसिंहपुरा की उत्तरी सीमा के साथ–साथ चलकर दक्षिणी–पश्चिमी कोने तक। यहां से सीधे चलकर वनखण्ड जयसिंहपुरा मेन की दक्षिणी पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु तक। यहां से दक्षिण सीमा के साथ–साथ चलकर कम्पार्टमेन्ट नं. 6, 7 व 8 की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ चलकर क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट के रक्षित वनखण्ड जयसिंहपुरा मेन की सीमा के मिलान बिन्दु कम्पार्टमेन्ट नं. 8 की उत्तरी–पश्चिमी कोने तक।

खण्ड– 3 क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट के आरक्षित वनखण्ड नारायणी जी के कम्पार्टमेंट नं. 2 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने से चलकर रक्षित वनखण्ड धीरांडा (क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट) के पश्चिमी वन सीमा के साथ–साथ चलकर इस वनखण्ड के दक्षिणी–पश्चिमी कोने तक। यहां से पश्चिम में सरसा माता बांध की पाल के साथ–साथ चलकर आरक्षित वनखण्ड मानगढ़ के कम्पार्टमेंट नं. 3 की पूर्वी सीमा तक। यहां से उत्तर में चलकर इसी वनखण्ड के कम्पार्टमेंट नं. 2 व 3 की पूर्वी सीमा तथा रक्षित वनखण्ड खिरत का वास की पूर्वी वन सीमा के साथ–साथ चलकर आरक्षित वनखण्ड अजवगढ़ के कम्पार्टमेंट नं. 2 की दक्षिणी सीमा तक। यहां से पूर्व को चलकर आरक्षित वनखण्ड नारायणीजी के कम्पार्टमेंट नं. 2 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने तक।

खण्ड– 4 आरक्षित वनखण्ड बडी लाईन डीगोता 61 के दक्षिणी–पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर इसी वनखण्ड की दक्षिणी–पश्चिमी वन सीमा (जिला सीमा) के साथ–साथ चलकर क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट के रक्षित वनखण्ड पिपलाई मैन की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक। यहां से उत्तर व पूर्व को जिला सीमा (क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट) के साथ–साथ चलकर वनखण्ड बडी लाईन डीगोता 61 के दक्षिणी–पूर्वी कोने तक।

खण्ड– 5 क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट के रक्षित वनखण्ड नडोली के दक्षिणी–पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर पूर्व को इसी ग्राम के खसरा नं0 861 की दक्षिणी सीमा (जो ग्राम भूराली की उत्तरी सीमा भी है) के साथ–साथ

चलकर ग्राम कलियान की दक्षिणी सीमा जो ग्राम कलियान के खसरा नं0 502, 503, 507, 508, 510, 408 की दक्षिणी सीमा भी है, के साथ–साथ नदी तक। यहां से ग्राम कालियान की सीमा से ग्राम गुवाडा सीरा के खसरा नं0 135 व 142 की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ ग्राम गुवाडा डाबर की सीमा तक। यहां से गुवाडा सीरा की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ (खसरा नं0 143, 144, 155, 156, 162, 171, 184, 182, 187, 188, 189, 193, 198, 199, 204, 205 की दक्षिणी सीमा है) चलकर क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट की सीमा तक। यहां से आरक्षित वनखण्ड सिलीबावडी के कम्पार्टमेंट नं. 4 व 5 के मिलान बिन्दु तक। यहां से इसी वनखण्ड सिलीबावडी के कम्पार्टमेंट नं. 5, 6 की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ तथा आरक्षित वनखण्ड नारायणीजी के कम्पार्टमेंट नं. 5 बी की पश्चिमी सीमा, कम्पार्टमेंट नं. 4 की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट नं. 1 की पूर्वी– उत्तरी–पश्चिमी सीमा के साथ–साथ चलकर जयसागर बांध (अजबगढ़) तक। यहां से जयसागर बांध की पाल के साथ–साथ चलकर आरक्षित वनखण्ड अजबगढ़ के कम्पार्टमेंट नं. 1 तथा रक्षित वनखण्ड पिपलाई मैन की पूर्वी वन सीमा के साथ–साथ (सिद्ध का तिराहा से पहले) ग्राम नडोली की ग्राम सीमा तक। यहां से इसी ग्राम के खसरा नं0 17, 18 व 19 की उत्तरी सीमा के साथ–साथ चलकर रक्षित वनखण्ड नडोली की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ चलते हुए इसी वनखण्ड के दक्षिणी–पूर्वी कोने तक।

खण्ड– 6 ग्राम रायपुरा के पास रक्षित वनखण्ड रायपुरा की पूर्वी वन सीमा के कोने से प्रारम्भ होकर वनखण्ड की पूर्वी–उत्तरी वन सीमा के साथ–साथ चलकर आरक्षित वनखण्ड जोंधावास मय राजौर के कम्पार्टमेंट नं. 6 के मिलान बिन्दु तक। यहां से कम्पार्टमेंट नं. 6 व 5 की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ चलकर कम्पार्टमेंट नं. 5 की पश्चिमी व दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक। यहां से ग्राम रायपुरा की दक्षिणी सीमा (खसरा नं0 99, 100, 103) की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ चलकर खसरा नं0 165, 148, 166, 108, 96, 61, 58, 56, 15, 7 की पश्चिमी सीमा (जो वन सीमा भी है) के साथ–साथ चलकर ग्राम की आवादी खसरा नं0 16 के पास रक्षित वनखण्ड रायपुरा की उत्तरी–पूर्वी कोने पर वन सीमा के मिलान बिन्दु तक। (बफर क्षेत्र में शामिल खसरा नं0 15, 17 से 58, 61 से 95, 97 से 107)

खण्ड– 7 क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट के आरक्षित वनखण्ड बनी तालवृक्ष के उत्तरी पूर्वी कोने (खसरा नं0 2043) से खसरा नं0 2026 (नाला), खसरा नं0 2011 (नदी) के साथ–साथ घूम तक। यहां से खसरा नं0 1980 के साथ–साथ चलकर खसरा नं0 1940, 1939, 1936, 1935 की उत्तरी सीमा के साथ–साथ चलते हुए ग्राम सीमा तक। यहां से ग्राम मानावास के खसरा नं0 35, 37, 39 व 29 की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ चलकर रक्षित वनखण्ड मानावास के दक्षिणी–पश्चिमी सीमा मिलान के कोने तक। यहां से इसी वनखण्ड मानावास की

दक्षिणी-पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलकर उत्तरी-पूर्वी कोने तक। यहां से सीधे पूर्व में खसरा नं. 405, 406, 409, 410, 412, 413, 416 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ चलकर क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट की सीमा तक। यहां से दक्षिण में चलकर क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट की सीमा के साथ-साथ चलकर ग्राम बैरावास की उत्तरी सीमा तक। यहां से पश्चिम में क्रिट्रीकल टाइगर हैवीटाट की सीमा (जो ग्राम सीमा है) के साथ-साथ चलकर कुशलगढ़-नारायणपुर सड़क तक। यहां से सड़क के साथ-साथ उत्तर में क्रिट्रीकल टाइगर हैवीटाट की सीमा के साथ चलते हुए आरक्षित वनखण्ड बनी तालवृक्ष के उत्तरी-पूर्वी कोने तक।

खण्ड- 8 ग्राम लेकडी के दक्षिण-पूर्व में इसी ग्राम के साबिक खसरा नं0 365 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने (जो वन सीमा भी है) से प्रारम्भ होकर खसरा नं0 365 की पश्चिमी, खसरा नं0 392, 394, 407, 406 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलकर रक्षित वनखण्ड लेकडी ए के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक। यहां से इसी वनखण्ड व रक्षित वनखण्ड घाट बी तथा ग्राम घाट के साबिक खसरा नं0 320 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलकर रक्षित वनखण्ड गूण्डली के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक। यहां से रतनपुरा-बहराम का बास सड़क के साथ-साथ पूर्व में चलकर वनखण्ड घाट ए की सीमा क्रॉस तक। यहां से वनखण्ड घाट ए की पश्चिमी-दक्षिणी-पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलकर इसी सड़क के क्रॉसिंग बिन्दु तक। यहां से रतनपुरा-बहराम का बास- रामपुर सड़क के साथ-साथ ग्राम रामपुर से उत्तर में नाला क्रॉसिंग तक। यहां से इस नाले के साथ-साथ चलकर ग्राम की आबादी को बाहर रखते हुए दक्षिण में स्थित पहाडियों को शामिल करते हुए ग्राम रामपुर से गुढ़ा- कल्याणपुरा सड़क के साथ-साथ कल्याणपुरा तक। यहां से आरक्षित वनखण्ड रामपुर के कम्पार्टमेंट नं. 7 की पश्चिमी सीमा तक। यहां से दक्षिण की ओर चलकर इसी वनखण्ड के कम्पार्टमेंट नं. 3 व 4 की पश्चिमी सीमा व कम्पार्टमेंट नं. 8, 9, 10, 11, 12, 31 व 32 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ तथा रक्षित वनखण्ड रामपुर की उत्तरी-पश्चिमी वन सीमा व रक्षित वनखण्ड घाट मैन की पूर्वी वन सीमा के साथ-साथ चलकर वन चौकी बहराम का बास के पश्चिमी-उत्तरी कोने तक। यहां से घाट को जाने वाली सड़क के साथ-साथ ग्राम घाट की ढाणी तक। यहां से रक्षित वनखण्ड घाट मैन की पश्चिमी वन सीमा के साथ-साथ तथा रक्षित वनखण्ड लेकडी मैन की उत्तरी-पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर ग्राम लेकडी के दक्षिण में वनखण्ड लेकडी मैन के प्रारम्भिक बिन्दु खसरा नं0 365 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक।

खण्ड- 9 रक्षित वनखण्ड हाजीपुर के दक्षिणी-पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर वनखण्ड की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलकर उत्तरी-पूर्वी कोने तक। यहां से सीधे पूर्व में खसरा नं0 687, 688 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ चलकर आरक्षित वनखण्ड रामपुर के कम्पार्टमेंट नं. 1 की पश्चिमी सीमा तक। यहां से दक्षिण में चलकर कम्पार्टमेंट नं. 1 की

पश्चिमी सीमा के साथ–साथ चलकर कम्पार्टमेंट नं. 2 की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु तक। यहां से ग्राम हाजीपुर के खसरा नं0 721, 722, 723, 724 की दक्षिणी, 724, 717, 718, 707 की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ चलकर रक्षित वनखण्ड हाजीपुर के दक्षिणी–पूर्वी कोने तक।

खण्ड– 10 क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट के रक्षित वनखण्ड दुहारमाला के मध्य इन्टीरियर वन सीमा लाईन के अन्दर स्थित समस्त राजस्व क्षेत्र शामिल है।

खण्ड– 11 क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट के रक्षित वनखण्ड नाथूसर के मध्य इन्टीरियर वन सीमा लाईन के अन्दर स्थित ग्राम लोज नाथूसर का समस्त राजस्व क्षेत्र शामिल है।

खण्ड– 12 गुवाडा रईका की आबादी व काश्त रकबा शामिल है।

[संख्या एफ.3(34)वन/2007]
राज्यपाल की आज्ञा से,
सी.एस. रत्नासामी,
शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

Annexure - 3

FOREST DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, November 7, 1955.

Miscellaneous No. F. 39(2) *For.*/55.—In exercise of the powers conferred under Section 5 of the Rajasthan Wild Animals and Birds Protection Act, 1951, the Rajpramukh is pleased to declare the following areas the boundaries of which are described in Schedule A attached hereto, as Reserved Areas wherein it shall be unlawful to hunt, shoot, net, trap, snare, capture or kill any kind of wild animals and birds at any time of the year.

(1) Jaisamand. (2) Sawai Madhopur. (3) Sariska. (4) Darrah. (5) Dholpur (Ramsagar, Ban Bihar and Kesarbagh).

SCHEDULE A.

Jai Samand.	East :—Gandhi village and Jaisamand Bund. West :—Jadiana and Piladhar village. North :—Na..dvi. Advas, Guda, Dayana and Juni Jhari villages. South :—Ghanda-ji-ka-Gara, and Nehudi, Bambuda virans Ghator, Veerpur and Ghatpur villages.
Sawai Madhopur.	East :—Sawai Madhopur-Khandar Road. West :—Mor Doongri and Mansorowar. North :—Chindali forests. South :—Gosadan, Indala.
Sariska.	East :—Kalighat-Tehla Road. West :—Thana Gazi, Amra-ka-Bas, Mala Dohar. North :—Indok, Karna-ka-Bas Protected Zamindar forests. South :—Dabkah, Reserved forests.
Darrah.	East :—The Ahu and Kali Sindh-rivers. West :—The Chambal river. North :—The Mukandwara hill range from the Kalisindh rivers, along Kalipura, Chand baori, Baontha and Molse villages. South :—The Mukandwara hill range from the Chambal to the Kalisindh along Ghantoli & Ghati Jagir villages.
Dholpur (Ramsagar).	East:—Sateri Village. West:—Jamura, Neharawalala villages. North :—Ramsagar embankment. South :—Pucca Road from Dholpur to Gurja.
Dholpur (Ban Bihar).	East :—Patwari Village. West :—Waripura. North :—Kukpur Bibhi village. South :—Virpur Baripura Village.
Dholpur (Kesharbagh).	East :—Bichia village. West :—Bishonoda. North :—Hirnoda village. South :—Garbapura village.

By Order,
P. N. KAUL
Secretary to the Government.

CHARBHUJA TALKIES

(1) Exits do not directly open on main road (Rule 18 (1)).

(2) There is no parking place provided within the enclosures (Rule 18 (4)).

(3) There is no cloak room (Rule 31(1)).

(4) The floor of the landing is 4" thick (Rule 33 (6)).

(5) The height of Tiers is less than that mentioned in (Rule No. 23 (1)).

Jaipur, September 2, 1958.

No. F. 14 (20)/Home. D/58.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Rajasthan Cinemas (Regulation) Act, 1952 (Act No. XXX of 1952), the Rajasthan Government, being of the opinion that reasonable grounds exist for doing so, does hereby direct that the conditions contained in Sub-Rule (3) of Rule 3 of the Rajasthan Cinemas (Regulation) Rules, 1953 that the aggregate period of a temporary licence cannot exceed six months in a calendar year, shall not apply to cinematograph exhibition of films by the Kanwal Talkies, at Raisinghnagar, District Ganganagar, for a period of six months commencing from the date of orders subject to the conditions that :—

(1) There shall be made adequate arrangement for prevention of fire;

(2) The screen will be cardoned off and kept apart from the place where people will sit;

(3) The temporary structure where exhibition of cinematograph will be made, shall be temporarily covered in rainy and winter seasons;

(4) There shall be maintained sufficient number of exits to enable cinemagoers to come out immediately in the event of out-break of fire etc.; and

(5) Adequate arrangement for seating and other normal conveniences shall be made for cinemagoers.

By Order of the Governor,
C. S. GUPTA,
Secretary to the Government.

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, September 4, 1958.

No. F. 7 (15)/E&T/58.—In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of section 7 of the Rajasthan Entertainments Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957) the State Government being of the opinion that reasonable grounds exist for doing so in the public interest, hereby exempts from the payment of entertainments tax the Foot-ball maches to be played at Ajmer by the Rajasthan Foot-ball Association, Ajmer with effect from the 9th September, 1958.

2. This exemption will be only for this particular occassion.

By Order of the Governor,
G. S. PUROHIT,
Secretary to the Government.

REVENUE (A) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, August 5, 1958.

No. F. 33 (2) Rev. A/54.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Rajasthan Wild Animals and Birds Protection Act, 1951, (Act No. XIII of 1951) the Governor is hereby pleased to make the following amendment in the Schedule 'A' to the Forest Department Notification, Miscellaneous No. F. 35 (2) For./55 dated 7-11-1955, namely:—

AMENDMENT

In the said notification—

For the existing entries against Sawai Madhopur and Sariska, the following entries may be substituted :—

Sawai Madhopur	East.	Glaisagar, Korwan hill, Khandar Sawai Madhopur service road.
	West.	Bodel Khandar Forest Road (2 miles) Tenduwala Patta Soleshwar Range Misra Dra.
	North.	Dang Itawda, Hills of Berda and Lakarda, Milak talab Misra Dra.
	South.	Khandar-Sawai Madhopur Road.
Sariska	East.	Dangawara, Boreta, Thosra, Naya Gaon, Bhandodi, Baleta, Mundawara, Prithipura, Impipura, Chand Pahari, Nirbhanpura and Dharampura village.
	West.	Mundawara, Rechamala, Duharmala, Thanagazi, Amarkabas, Jodha Bas, Shyampura, Rajpura, Gopal pura and Jaipura Villages.
	North.	Mundawar, Manawas villages, Adamala Reserved Forest, Raika Guara and Kali Khol Reserved Forests.
	South.	Seliberi Reserved Forest, Kalwar villages, Tilwari Reserved Forests, Dadkan, Ghewar, Chavaka Bas, Mualipura, Nanda villages and Tehla-Rajgarh Road.

Annexure - 4

राजस्थान-सरकार

राज. (ग्रुप-8) विभाग

क्रमांक/एफ. 11(22)राज-8/78 जयपुर, दिनांक 27 अगस्त, 1982

अधि-सूचना

यतः राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न उपाबंध में परिनिश्चित क्षेत्र को उसमें पाये जाने वाले वन्य जीवों के संरक्षण, प्रचारण एवं उनके विकास व पर्यावरण के प्रयोजनार्थ उसके परिस्थितिक, प्राणी जातीय, वनस्पति, भू संरचना तथा प्राणी विज्ञान संबंधी सहयोजन और महत्व के कारण राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की आवश्यकता है ।

अतः वन्य जीव (संरक्षण अधिनियम, 1972) 1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं053 की धारा 35 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार उक्त क्षेत्र एक राष्ट्रीय उद्यान जिसको "राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का" के नाम से उदबोधित किया जावेगा, के रूप में गठित करने के अपने आशय की इसके द्वारा घोषणा करती है ।

उपाबंध

1- उत्तर- बारां नाहरखोरा जंगली, नल देश्वर, धमोडी, भूलवारि, करना का बास, सरिस्का, राह्का माला, दुलार माला तालवृक्ष ।

2- पूर्व - नाडू जंगल, बोरेठा की पहाडी, देवरी आरक्षित वन खण्ड, सीती-सैरी आरक्षित वन खण्ड, नाहर सत्ती, पृथ्वीपुरी की पहाडी रक्षित वन खण्ड ।

3- पश्चिम - तालवृक्ष, पहाडी राई का माला, ताल गेट, उदयनाथ ।

4- दक्षिण- उदयनाथ, [illegible]-ग्राम जंगली भगानी, भगानी से काली घाटी [illegible] ।

आज्ञा से

(आनन्द मोहन लाल)

राजस्व सचिव

क्रमांक/एफ. 11(22)राज-8/78 जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को:-

1- सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर

2- सचिव, मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर

3- समस्त निजी सचिव, मंत्री/उप मंत्री, राजस्थान जयपुर ।

क्र0प0उ0--2